प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतीस'

[9/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 4950]

परिशिष्ट–1

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016
E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone :
फैक्स/Fax : 0755-2426698
ईमेल/E-mail : robhopal@nhai.org

भाराराप्रा / आर.ओ.–एम.पी. / 2017 / वि.स. /26958 दिनांक 22.02.2017

प्रति

कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा.परि.)
लो.नि.वि. अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषयः– लेबड अहमदबाद फोरलेन सड़क में विलंब के संबंध में। विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 4950 द्वारा श्री यशपालसिंह सिसौदिया।

संदर्भः– कार्यालय मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. भोपाल का कार्यालयीन मेल 17.02.2017.

महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 17.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्र.–4950 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पक्रिइकाई–इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	इन्दौर–धार–अहमदाबाद फोरलेन सड़क निर्माण किस योजना के अंतर्गत कंसेशनायर (कम्पनी) के कब प्रारम्भ किया, इस सड़क निर्माण को कब पूर्ण करने का अनुबंध कंपनी से किया गया तथा क्या निर्माण कार्य अनुबंध सीमा में पूर्ण हो गया है यदि नही तो कम्पनी के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा समस्त अनुबंधों का विवरण उपलब्ध कराये?	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–59 के इन्दौर–म.प्र. / गुजरात सीमा खण्ड का 4–लेन चौड़ीकरण कार्य NHDP Phase-III के अंतर्गत मेसर्स आई.वी.आर.सी.एल. इन्दौर–गुजरात टोलवेज लि. को दिनांक 22.02.2010 को दिया गया था एवं कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक 20.08.2010 नियत हुआ था। अनुबंधानुसार यह कार्य फरवरी, 2013 तक पूर्ण करना था। लेकिन नगदी प्रवाह की कमी के कारण कंसेशनायर द्वारा जून, 2012 से अप्रैल, 2015 तक कार्य बंद कर दिया गया था। कंसेशनायर द्वारा मई, 2015 से पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। परन्तु लेण्डर बैंकर्स द्वारा नगदी प्रवाह पुनः रोक देने के कारण कंसेशनायर द्वारा फरवरी, 2016 से पुनः कार्य बंद कर दिया गया है। फरवरी, 2016 तक 125 किमी लम्बाई में DBM का कार्य पूर्ण हो चुका था। कंसेशनायर, मेसर्स आई.वी.आर.सी.एल. को पकाई–इंदौर कार्यालय के पत्र दिनांक 30.05.2016 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है तथा पकाई–इंदौर कार्यालय के पत्र दिनांक 04.06.2016 के

क्र.	प्रश्न	उत्तर
		माध्यम से भा.रा.रा.प्रा. के मुख्यालय को अनुबंध निरस्त करने की अनुशंसा की गई थी।
(ख)	प्रश्न दिनांक तक इस सड़क मार्ग की कितनी छोटी बड़ी पुलिया का निर्माण हो गया है कितनी अभी शेष है तथा कितने किमी सड़क का निर्माण शेष है? सम्पूर्ण सड़क कब तक पूर्ण हो जाएगी?	रा.रा.क्र.–59 पर वर्तमान में छोटी/बड़ी पुलिया के निर्माण एवं शेष संरचनाओं की जानकारी प्रपत्र–1 में संलग्न है एवं 30 किमी का सड़क निर्माण का कार्य शेष है (16 किमी वनक्षेत्र एवं अभ्यारण क्षेत्र सम्मिलित है) तथा कंसेशनायर द्वारा दी गई कार्योजना अनुसार 16 किमी वनक्षेत्र एवं अभ्यारण क्षेत्र को छोड़कर शेष 14 किमी सड़क निर्माण का कार्य माह जून, 2017 तक पूर्ण हो जाएगा।
(ग)	विगत दो वर्षों में सड़क निर्माण की देरी एवं अन्य किस–किस तरह की, कब–कब, किस–किस व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि ने कहॉ–कहॉ शिकायत एवं आन्दोलन किये? उस पर क्या कार्यवाही की गई?	विगत दो वर्षों में जनप्रतिनिधिओं एवं आम जनता द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र व्यवहार एवं आंदोलन किया गया। इस संबंध में सांसद माननीय श्री कांतीलाल जी भूरिया एवं श्रीमती सावित्री ठाकुर से भी शिकायत प्राप्त हुई। इस संबंध में भा.रा.रा.प्रा. द्वारा वर्तमान सड़क झाबुआ से पिटोल तक की मरम्मत का कार्य कंसेशनायर से कराया गया एवं अन्य मार्गों पर भी आंशिक रूप से संधारण के कार्य किये गये तथा भा.रा.रा.प्रा. द्वारा बेटमा, उटावद, सरदारपुर–राजगढ़ एवं झाबुआ के आंतरिक मार्गों के रखरखाव एवं नवीनीकरण हेतु राशि रू. 13.17 करोड़ लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही भा.रा.रा.प्रा. द्वारा शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु one time fund infusion पॉलिसी के अनुसार राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि रू. 122.48 करोड़ का प्रस्ताव मुख्यालय, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें लेंडर बैंक द्वारा भी सहमति दी गई है। परियोजना का कार्य माह फरवरी से प्रारम्भ होकर जून, 2017 तक पूर्ण होने की संभवना है। (16 किमी वन क्षेत्र एवं अभ्यारण क्षेत्र को छोड़कर)
(घ)	सड़क निर्माण कम्पनी ने कहॉ–कहॉ से, कितनी–कितनी प्रयोग में आने वाली गिट्टी मुरम को लेकर राजस्व रायल्टी कहॉ–कहॉ, किस–किस कार्यालय में, कितनी–कितनी जमा कराई?	सड़क निर्माण का कार्य कंसेशनायर, मेसर्स आई.वी.आर. सी.एल. को बी.ओ.टी. आधार पर सौंपा गया है, जिसमें कंसेशनायर द्वारा स्वयं के व्यय एवं बैंक से फायनेंस के द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया जाता है, जिसमें बिलों का भुगतान इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। गिट्टी एवं मुरम की रायल्टी कंसेशनायर द्वारा संबंधित जिले के खनिज विभाग में आवश्यक मात्रा अनुसार राशि जमा की जाती है। जिसमें विभाग का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं होने के कारण इस विभाग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

22/02/17

(विशाल गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रपत्र–1

S. No.	Description	LHS				RHS				Remarks
		Total No.	Completed	In Progress	Yet to be tackled	Total No.	Completed	In Progress	Yet to be tackled	Structure falling in Forest and Wildlife sanctuary area
1	Box Culvert	185	133	14	38	185	134	14	37	24
2	Pipe Culvert	159	113	10	36	159	113	10	36	12
3	CUP/VUP	15	10	5	0	15	11	4	0	0
4	Minor Bridge	25	2	23	0	25	2	23	0	0
5	Major Bridge	10	1	7	2	9	1	7	1	2
6	Flyover	2	0	2	0	2	0	2	0	0
7	ROB	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL